ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

26 November 2024

आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

सन्दर्भः हाल ही में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के 130 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि भारत इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन वैश्विक सहकारी क्षेत्र में भारत के नेतृत्व और प्रभावशाली भूमिका को उजागर करता है।

- सम्मेलन का विषय, 'सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है', विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में समावेशी आर्थिक विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

सम्मेलन के उद्देश्यः

- **समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देनाः** सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना, हाशिये पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाना, और सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को सुदृढ़ करना है।
- **सहकारी विकास के लिए नवीन रणनीतियों का अन्वेषणः** यह मंच सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, सुशासन, और वित्तीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों पर विचार-विमर्श प्रदान करता है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों के समाधान हेतु नवीन दृष्टिकोण विकसित करने पर बल देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभः** सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की शुरुआत का प्रतीक है। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति सहकारी समितियों के प्रभाव, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, और पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के बारे में:

- 1895 में स्थापित, आईसीए विश्व के सबसे पुराने और प्रभावशाली गैर-सरकारी संगठनों में से एक है। यह 105 देशों में 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
- आईसीए सहकारी समितियों की सामाजिक और आर्थिक विकास में भूमिका का समर्थन करता है, विशेषकर हाशिए पर स्थित समुदायों के सशक्तिकरण के लिए। आईसीए क्षेत्रीय और वैश्विक शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है, जिससे सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रमुख सरकारी पहलः

- **सहकारिता मंत्रालय (MoC):** भारत सरकार ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **पैक्स के लिए आदर्श उप-नियमः** नए आदर्श उप-नियम प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को 25 से अधिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे शासन और समावेशिता में सुधार होता है, जिसे 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।
- **पैक्स का कम्प्यूटरीकरणः** 2,516 करोड़ रुपये की परियोजना का लक्ष्य 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करना है तथा उन्हें नाबार्ड के साथ जोड़ना है। 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 62,318 पैक्स पहले ही कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं।
- **नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियांः** विभिन्न महासंघों के सहयोग से वंचित पंचायतों में 9,000 से अधिक नई पैक्स स्थापित की जा रही हैं।
- **विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजनाः** PACS स्तर पर गोदामों और कृषि-बुनियादी ढांचे को बनाने की योजना का उद्देश्य खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत को कम करना है, पायलट परियोजना के लिए 2,000 PACS की पहचान की गई है।
- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्सः** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और NABARD के साथ समझौते के तहत 30,647 PACS को 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया गया है।
- **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ):** किसानों के लिए बाजार संपर्क में सुधार के लिए पैक्स द्वारा 1,100 एफपीओ का गठन किया जाएगा।
- **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेटः** 240 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 39 का चयन किया गया।
- **माइक्रो-एटीएम और रुपे किसान क्रेडिट कार्डः** अब तक 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं। 1,23,685 ग्रामीण नागरिकों को RuPay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान की गई हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

निष्कर्ष:

आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 वैश्विक स्तर पर सहकारी आंदोलन का नेतृत्व करने में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है। प्रमुख सरकारी पहलों और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के शुभारंभ के साथ, भारत का लक्ष्य समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक सतत विकास में योगदान देने में सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाना है।

भारत का समुद्री भोजन और शराब उद्योग

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय दूतावास द्वारा APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और MPEDA (समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के सहयोग से भारतीय समुद्री भोजन और वाइन चखने के दूसरे संस्करण का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया।

- व्यापारिक नेताओं, व्यापार निकायों और राजनयिकों सहित 120 से अधिक प्रतिष्ठित मेहमानों के साथ, इस कार्यक्रम में भारत के प्रीमियम समुद्री भोजन और बढ़ते शराब उद्योग का प्रदर्शन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना था।

आयोजन के मुख्य उद्देश्य:

- **भारतीय समुद्री भोजन को बढ़ावा देना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन उत्पादों को प्रचारित करना था, जिसका लक्ष्य यूरोपीय खरीदारों के बीच देश के समुद्री भोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
- **निर्यात अवसरों का विस्तार:** भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों को यूरोपीय आयातकों के साथ जोड़कर, इस आयोजन का उद्देश्य यूरोपीय बाजार में भारत के समुद्री खाद्य उद्योग के लिए निर्यात अवसरों का विस्तार करना था।
- **व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देना था।

भारत का समुद्री भोजन और शराब उद्योग:

- **समुद्री खाद्य उद्योग:**
  - » भारत विश्व स्तर पर मछली और जलीय कृषि का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जोकि विश्व के मछली उत्पादन में 7.96% का योगदान देता है और 28 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
  - » देश में प्रचुर मात्रा में समुद्री और अंतर्देशीय संसाधन हैं, जिसमें इसकी 8,118 किमी लंबी तटरेखा और 2 मिलियन वर्ग किमी ईईजेड शामिल हैं, जोकि मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
  - » 2023-2024 में, भारत का समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य में 7.3 बिलियन डॉलर और मात्रा में 17.81 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया। भारत अब यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा झींगा आपूर्तिकर्ता और स्क्विड आयात में एक प्रमुख देश है।
  - » मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ने 2022-23 में 5.1 मिलियन मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का उत्पादन किया।
- **शराब उद्योग:**
  - » भारत का वाइन उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जिसका मूल्य 1,400 करोड़ ($175 मिलियन) है और 2028 तक 20% CAGR से बढ़कर 3,500 करोड़ ($440 मिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि भारत वैश्विक वाइन निर्यात में 0.1% से भी कम का योगदान देता है, लेकिन प्रीमियम भारतीय वाइन को मान्यता मिलने के साथ ही इस हिस्सेदारी के बढ़ने की संभावना है।
  - » महाराष्ट्र शराब उत्पादन में अग्रणी है, जोकि देश के शराब उत्पादन में 85-90% का योगदान देता है, इसके बाद कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य आते हैं।

एपीडा और एमपीडा के बारे में :

- **एपीडा:** 1986 में स्थापित, एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **एमपीईडीए:** 1972 में स्थापित, एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण, बुनियादी ढांचे के विकास और अनुसंधान के माध्यम से भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात, विशेष रूप से समुद्री भोजन और मछली को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

भारतीय समुद्री भोजन और वाइन चखने के कार्यक्रम ने समुद्री भोजन और वाइन उद्योग में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। इस आयोजन ने भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय खरीदारों से जोड़ते हुए व्यापारिक अवसरों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया। एपीडा और एमपीईडीए के निरंतर समर्थन के साथ, भारत यूरोप के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए एक मजबूत स्थिति में है। यह कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों में दीर्घकालिक और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सहायक साबित होगा।

वैश्विक प्लास्टिक संधि

सन्दर्भ: हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण में, नियंत्रण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि तैयार करने के लिए 170 से अधिक देश कोरिया गणराज्य के बुसान में पांचवें और अंतिम दौर की वार्ता के लिए एकत्रित होंगे।

- इस संधि को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा 2022 में अनिवार्य किया गया था। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर उसके निपटान तक पूरे जीवन चक्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र रूपरेखा स्थापित करना है। इस संधि को 2024 के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्लोबल प्लास्टिक संयोजन की आवश्यकता:

- **प्लास्टिक उत्पादन में वृद्धि:** प्लास्टिक के बहुउपयोगी स्वभाव ने इसके उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की है। 2000 में 234 मिलियन टन का उत्पादन 2019 तक 460 मिलियन टन हो गया और 2040 तक इसके 700 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
- एशिया सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका (19%) और यूरोप (15%) का स्थान है।
- प्लास्टिक को नष्ट होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लगता है। वैश्विक स्तर पर हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 10% से भी कम का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) हो पाता है। अनुमान है कि 2050 तक प्लास्टिक कचरे में 62% की वृद्धि होगी।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि यह माइक्रोप्लास्टिक में टूटकर समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। प्लास्टिक में मौजूद रासायनिक तत्वों के कारण कैंसर, मधुमेह, प्रजनन विकार और तंत्रिका विकास संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- 2020 में प्लास्टिक उत्पादन ने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 3.6% योगदान दिया। इसमें 90% उत्सर्जन उत्पादन चरण और 10% अपशिष्ट प्रबंधन से था। अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो 2050 तक यह योगदान 20% तक बढ़ सकता है।
- भारत वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में 9.3 मिलियन टन (20%) का योगदान देता है। यह नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन जैसे अन्य प्रमुख प्रदूषणकारी देशों से अधिक है।

संस्तुति:

- **विशिष्ट प्लास्टिक और रसायनों पर प्रतिबंध:** कुछ प्लास्टिक और रसायनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है।
- **पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण सामग्री का लक्ष्य:** पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और उपभोक्ता वस्तुओं में पुनर्नवीनीकरण सामग्री शामिल करने के लिए कानूनी प्रावधान लाने का लक्ष्य है।
- **प्रभावित समुदायों के लिए सहायता:** उन क्षेत्रों और समुदायों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना जो कि प्लास्टिक उत्पादन और उसके प्रभाव से प्रभावित हैं।

वार्ता में चुनौतियाँ:

- **उत्पादन सीमा:** सऊदी अरब, रूस और भारत जैसे देश प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध का विरोध करते हैं तथा इसके स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन समाधान की वकालत करते हैं।
- **महत्वाकांक्षी न्यूनीकरण लक्ष्य:** रवांडा, पेरू और यूरोपीय संघ ने 2040 तक प्लास्टिक कचरे में 40% की कमी का प्रस्ताव रखा है।
- **वित्त:** एक प्रमुख मुद्दा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करना है, जिसमें सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

वार्ता में भारत की स्थिति:

- **उत्पादन सीमा का विरोध:** भारत ने यूएनईए के अधिदेश का हवाला देते हुए उत्पादन सीमा को अस्वीकार कर दिया।
- **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए समर्थन:** भारत अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करना चाहता है।
- **हानिकारक रसायनों का विनियमन:** भारत इस बात पर जोर देता है कि रसायनों का विनियमन वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होना चाहिए तथा घरेलू स्तर पर ही किया जाना चाहिए।
- **प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण:** भारत कुछ प्लास्टिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए लचीले, संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण की मांग करता है।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

26 November 2024

पॉवर पैक्ड न्यूज

केन्द्र सरकार ने लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अभियान "अब कोई बहाना नहीं" किया शुरू

- हाल ही में भारत सरकार ने लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय अभियान 'अब कोई बहाना नहीं' नई दिल्ली में शुरू किया। यह पहल लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इसके प्रति सामूहिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में और संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) के सहयोग से इस अभियान का उद्देश्य आम जनता, सरकारी निकायों और प्रमुख हितधारकों को संगठित करना है। अभियान के दौरान एक फिल्म का अनावरण भी किया गया, जिसमें व्यक्तियों और संस्थानों को इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया गया।
- यह पहल 'नई चेतना 3.0' के साथ मेल खाती है, जिससे अभियान के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य जमीनी और संस्थागत स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और ठोस कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
- अभियान को 25 नवंबर, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, के साथ जोड़ा गया। यह लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने और समानता व सुरक्षा को बढ़ावा देने के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है।

अब्दुलाये मैगा को माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया

माली की सत्तारूढ़ सेना ने अब्दुलाय मैगा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने चोगुएल मैगा का स्थान लिया है, जिन्हें प्रशासन की सार्वजनिक आलोचना के बाद बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय माली के राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ते तनाव और विभाजन को दर्शाता है।

माली के बारे में:

- माली पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जोकि अपने विशाल रेगिस्तान और समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसकी सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट, दक्षिण-पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से लगती है।
- देश के भूगोल में उत्तर में सहारा रेगिस्तान और देश के मध्य भाग में फैला अर्ध-शुष्क क्षेत्र सहेल का प्रभुत्व है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक नाइजर नदी देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है, जोकि महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा

- 50 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यटन घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि दुनिया भर में पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
- पर्यटन उद्योग वैश्विक ळक्च् का लगभग 3% योगदान करता है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 8.8% की हिस्सेदारी रखता है।

- इस घोषणा के साथ कई अन्य पहलों को शामिल किया गया है, जैसे कि होटल उद्योग के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी अलायंस द्वारा प्रस्तुत एक ढांचा। हस्ताक्षरकर्ता देशों ने जलवायु कार्रवाई योजनाओं को तैयार करते समय पर्यटन के प्रभाव को ध्यान में रखने की बात कही है, जिसमें उनके राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) भी शामिल हैं।
- पर्यटन सरकारों को हार्ड करेंसी जैसे डॉलर आदि की आय में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, विशेष रूप से उभरते देशों में।
- इस समझौते से संकलित डेटा पर्यटन उद्योग और यात्रियों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को समझने में

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

मदद करेगा।

आरबीआई द्वारा UPI 123Pay के लिए लेन-देन सीमा 5,000 से 10,000 रूपये तक बढ़ाई गई

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI 123Pay के लिए लेन-देन सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपये कर दिया है।
- UPI 123Pay फीचर फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता के बिना डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह अपडेट तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 1 जनवरी 2025 तक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- लेन-देन सीमा में वृद्धि का उद्देश्य पिछड़े इलाकों में डिजिटल भुगतान तक पहुँच को सुधारना है।
- उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अस्थिर है वहाँ UPI 123Pay ऑफलाइन भुगतान के विकल्प प्रदान करता है, साथ ही अन्य सेवाएं जैसे- 'इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR), मिस्ड कॉल्स, OEM ऐप्स, और वॉयस टेक्नोलॉजी' भी प्रदान करता है।
- यह बदलाव किसानों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्मउद्योगों को बड़ी डिजिटल लेन-देन करने में मदद करेगा, जिससे नकद पर निर्भरता कम होगी।